

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 09/12-राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

बनाम

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

श्रीरावली देवी पुत्र श्री विगन जी

पटवारी हल्का आसाडी

जाति सूहल निवासी आसाडी
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

दिनांक 28/12/18

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की अनु/उप पत्रावली का हमने अवलोकन किया सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का आसाडी ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने मौका 21/11/18 के खसरा नम्बर 333 रकबा 0.04 बीघा में से 0.04 बीघा किरम 500 राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / गैरसायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पूर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे 5000 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

पटवारी हल्का 21/11/18 को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर गैरसायल को भौतिक रूप से वेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे। टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 28/12/18 को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार
गडरारोड

जुमाना 50 फसल नि. —
कुल योग 50 जि.के पृष्ठ सं. 16
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया :


तहसील राजस्व लेखाकार